भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

**No.** No.2019/EnHM/11/01 Rail Bhavan, New Delhi - 110001, Dated: 12.10.2021

**The General Managers**
**All Zonal Railways/PUs/PSUs**
**DG/NAIR, DG/RDSO**
**CAO/DMW/Patiala, CAO/RWP/Bela**

**Sub: Plastic Waste management Rules**
**Ref: Railway Board's letter no. 2015/EnHM/01/01 dated 17.10.2016**
**(ii) Board's letters of even number dated 19.8.2019 and 26.2.2020**

Copies of notifications issued by Ministry of Environment, Forests and Climate Change dated 12th August, 2021 and 17.09.2021 on Plastic Waste Management are enclosed herewith for information and compliance.

**DA/As above**

(Sheela Verma)
Director/EnHM
Railway Board

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228947
CG-DL-E-12082021-228947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

**सा.का.नि. 571(अ).**—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169 (अ) द्वारा तारीख 11 मार्च, 2021 में प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी लोगों से, जो उन नियमों से प्रभावित हो सकते हैं, उक्त प्रारूप नियम को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ठ करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 मार्च, 2021 को उपलब्ध कराई गई थी;

और, उपर्युक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 कहा है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों को कहा गया है) में, नियम 2 में, उप-नियम (1) में, "आयातकों" शब्द के पश्चात् "ब्रांड स्वामी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पुनर्चक्रक, सह-प्रसंस्करणकर्ता आदि)" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

उक्त नियमों में, नियम 3 में –

(i) खंड (ढ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(ढ क) "बिना बुने प्लास्टिक बैग" – से अभिप्रेत है जो यांत्रिक अथवा थर्मल अथवा रासायनिक साधनों द्वारा एक-साथ बंधे हुए जटिल प्लास्टिक फाइबरों या तंतुओं (और छिद्रित फिल्मों द्वारा) की प्लास्टिक की शीट अथवा वेब आकार के कपड़े से बने हुए बिना बुने प्लास्टिक के बैग और "बिना बुने कपड़े" से अभिप्रेत है जिसमें एक समतल अथवा गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट जो सीधे प्लास्टिक फाइबरों, पिघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की फिल्मों से बनाया जाता है;

(ii) खंड (ध) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(ध क) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण" – से अभिप्रेत है जिससे कोई ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण अथवा नए उत्पादों में परिवर्तन के प्रयोजन के लिए प्रबंधित किया जाता है; ';

(iii) खंड (फ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(फ क) "एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी वस्तु" का अर्थ है – जिससे प्लास्टिक की मद, जिसके निपटान अथवा पुनर्चक्रण से पहले उसे एक ही प्रयोजन के लिए एक बार ही उपयोग किया जाना है;

(फ ख) "थर्मोसेट प्लास्टिक" से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है और इसलिए इसे वांछित आकार में नहीं बदला जा सकता है;

(फ ग) "थर्मोप्लास्टिक" से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और इसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है;'

4. उक्त नियमों में, नियम 4 में –

(क) उप-नियम (1) में, - (i) "आयातक भंडारण" शब्दों के स्थान पर "आयात, भंडारण" शब्द रखें जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "पचास माइक्रोन की मोटाई", शब्दों के स्थान पर, शब्द आंकड़े, अक्षर और कोष्ठक "30 सितम्बर 2021 से पचहत्तर माइक्रोन की मोटाई और 31 दिसम्बर, 2022 से एक सौ बीस (120) माइक्रोन की मोटाई" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ज), "कैरी बैगों", शब्दों के बाद, "और वस्तु" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(iv) खंड (ज), "कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों", शब्दों के बाद, "या वस्तु या दोनों" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(v) खंड (झ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(ञ) 30 सितम्बर, 2021 की तारीख से गैर-बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।";

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(2)" 1 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा:-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री;

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर।

(3) उप-नियम (2) (ख) के उपबंध, कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

(4) इस अधिसूचना के बाद कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या समान प्रकार की सामग्री या प्लास्टिक शीट और बहु-परतीय पैकेजिंग से बने कवर और पोलिस्टाइरीन और विस्तारित पोलिस्टाइरीन, वस्तुओं सहित एकल प्रयोग के प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को निषिद्ध करने के संबंध में, जारी की गई कोई भी अधिसूचना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात लागू होगी।

5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (घ) में "2000" अंकों के स्थान पर "2016" रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों, में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए;

7. उक्त नियमों में नियम 7 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए;

8. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, "संबंधित स्थानीय निकाय" शब्दों के पश्चात, "इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

9. नियम 11 में, उप-नियम (1), -

(i) "प्लास्टिक कैरी बैग" शब्दों के पश्चात, "प्लास्टिक पैकिंग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में "विनिर्माता" शब्द के पश्चात, "उत्पादक" या ब्रैंड स्वामी" शब्द जोड़े जाएंगे, और "कैरी बैग" शब्द के बाद, "और ब्रैंड के स्वामी द्वारा उपयोग प्लास्टिक पैकिंग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ख), "बहु-परतीय पैकिंग" शब्दों के पश्चात, "आयातित सामग्री के लिए उपयोग बहु-परतीय पैकिंग को छोडकर" अंत:स्थापित किया जाएगा।

(iv) खंड (ग) में, "नाम और प्रमाणपत्र सं." शब्दों के पश्चात, "उत्पादक का" अंत:स्थापित किया जाएगा।

10. नियम 12 में, -

(i) उप-नियम (2) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के पश्चात, "पर प्रतिबंध या निषेध" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के पश्चात, "पर प्रतिबंध या निषेध" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

11. नियम 13, में उप-नियम (1) में, "संबंधित संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के पश्चात, "या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 17-2/2001(पार्ट)पार्ट I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 27 मार्च, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

**G.S.R. 571(E).**—Whereas the draft rules to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th March, 2021 vide notification number GSR 169 (E), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 11th March, 2021;

And whereas, objections and suggestions received within the aforesaid period have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules,2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after the word "Importers", the words, "brand-owner, plastic waste processor (recycler, co-processor, etc.)" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 3,

(i) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :-

'(na) "Non-woven plastic bag" means Non-woven plastic bag made up of plastic sheet or web structured fabric of entangled plastic fibers or filaments (and by perforating films) bonded together by mechanical or thermal or chemical means, and the "non-woven fabric" means a flat or tufted porous sheet that is made directly from plastic fibres, molten plastic or plastic films;'

(ii) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely: -

'(qa) "Plastic waste processing" means any process by which plastic waste is handled for the purpose of reuse, recycling, co-processing or transformation into new products;'

(iii) after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: -

'(va) "Single-use plastic commodity" mean a plastic item intended to be used once for the same purpose before being disposed of or recycled;'

'(vb) "Thermoset plastic" means a plastic which becomes irreversibly rigid when heated and hence cannot be remoulded into desired shape;'

'(vc) "Thermoplastic" means a plastic which softens on heating and can be moulded into desired shape;'.

4. In the said rules, in rule 4, -

(a) in sub-rule (1),–

(i) for the words "importer stocking", the words "import, stocking" shall be substituted;

(ii) in clause (c), for the words "fifty microns in thickness" , the words, figures, letters and brackets "seventy five microns in thickness with effect from the 30th September, 2021and one hundred and twenty (120) microns in thickness with effect from the 31st December, 2022" shall be substituted;

(iii) in clause (h), after the words, "carry bags", the words "and commodities" shall be inserted;

(iv) in clause (h), after the words, "compostable plastic carry bags", the words "or commodities or both" shall be inserted;

(v) after clause (i), following clause shall be inserted, namely: -

" ( j) non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM) with effect from the 30th September, 2021.";

(b) after sub-rule (1), the following sub-ules shall be inserted, namely:-

"(2) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-

(a) ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;

(b) plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.

(3) The provisions of sub-rule (2) (b) shall not apply to commodities made of compostable plastic.

(4) Any notification prohibiting the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheets and multi-layered packaging and single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities, issued after this notification, shall come into force after the expiry of ten years, from the date of its publication".

5 In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1), in clause (d), for the figures "2000", the figures "2016" shall be substituted.

6 In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), after clause (a), following clause shall be inserted, namely: -

"(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;".

7 In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after clause (a), following clause shall be inserted, namely: -

"(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;".

8 In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), after the words, "local body concerned", the words "as per guidelines issued under these rules from time to time" shall be inserted.

9 In rule 11, sub-rule (1), –

(i) after the words "plastic carry bag", the words, "plastic packaging" shall be inserted;

(ii) in clause (a), after the word "manufacturer", the words "producer or brand-owner" shall be inserted, and after the words "carry bag", the words "and plastic packaging used by the brand owner" shall be inserted;

(iii) in clause (b), after the words "multilayered packaging", the words "excluding multi-layered packaging used for imported goods" shall be inserted;

(iv) in clause (c), after the words "name and certificate number", the words "of producer" shall be inserted.

10 In rule 12, –

(i) in sub-rule (2), after the words "waste generator," ,the words "restriction or prohibition on" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), after the words "waste generator," ,the words "

restriction or prohibition on" shall be inserted.

11. In rule 13, in sub-rule (1), after the words "Union Territory concerned", the words "or the Central Pollution Control Board" shall be inserted.

[F. No. 17-2-2001 (Pt)-Part I -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

**Note** : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number GSR 285 (E), dated the 27th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092021-229867
CG-DL-E-22092021-229867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943
No. 531] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2021

**सा.का.नि. 647(अ)** .—यत: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में उपाबंध किया गया है कि पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग तत्काल खाने या पीने योग्य खाद्य पदार्थों के भण्डारण, वहन, प्रबंधन या पैकिंग के लिए नहीं किया जाएगा;

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) वह अधिनियम है जिसका उद्देश्य खाद्य से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ता प्रदान करना और खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करना तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करना है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के तहत नोटिस की आवश्यकता को लोक हित में समाप्त करने के पश्चात्, एतद् द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में, नियम 4 में, उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग तत्काल खाने या पीने योग्य खाद्य पदार्थों के भंडारण, वहन, प्रबंधन या पैकिंग के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के तहत उपयुक्त मानकों और समुचित विनियमन के संबंध में जारी अधिसूचना के अधीन किया जा सकता है;"।

**टिप्पण:** मूल नियमों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा किया गया।

[फा.सं. 17/17/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

**G.S.R. 647(E).**—Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016 were notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016;

Whereas clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 of the said rules provides that carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff;

Whereas, Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is an Act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto;

Now therefore, in exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules to further amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016, in rule 4, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic can be used for storing, carrying, dispensing, or packaging ready to eat or drink food stuff subject to the notification of appropriate standards and regulation under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) by the Food Safety and Standards Authority of India;".

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R 285 (E), dated the 27th March, 2018 and last amended vide notification number G.S.R. 571 (E), dated the 12th August, 2021.

[F. No. 17/17/2021 -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.22 20:07:46 +05'30'